

107 द. प्र. स. 0

समाप्त

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी,

मोरखण्ड सरकार

बनाम

विशाल साहू को

M-22/2018

आदेश पत्रक

6131/8

अभिलेख संख्या :- एम. 22 / 2018, धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी खूँटी के अप्राथमिकी संख्या :- 8/18

67

6131/8

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :- दोना सोहर
के अक्सर पर निधि-बाक्शा हेतु।

जिससे संभ्रमना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द. प्र. स. 0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध -पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश वधों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 14/3/18 को सपस्थापित करे।

6/3/2018
अनुमंडल दण्डाधिकारी
खूँटी

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित/ डोली लोड 2018
संपन्न हो चुका है। यानी प्रगती द्वारा किसी
प्रकार का परिवेदन प्राप्त नहीं है। अतः वाद की
कार्रवाई समाप्त की जाती है।

संज्ञक

र
06.04.18

(2 out)
गंज बाजार
बी